at the official level for speedy implementation of the recommendations of the HLC. The matter is being pursued with the concerned agencies. The Director General Resettlement has been entrusted with the responsibility of monitoring the implementation of the recommendations of the HLC. The implementation of specific recommendations of the HLC was also discussed at the Kendriya Sainik Board meeting which was held on 10th December, 1986, under the Chairmanship of the Prime Minister and was attended by the Chief Ministers/ Ministers concerned with the resettlement of Ex-servicemen. The Prime Minister called upon the State Govefaiments to implement the accepted recommendations of the HLC and to help the Ex-servicemen in resettlement,

(b) The recommendations of the HLC cover a wide variety of subjects like employment, self-employment, pensions, welfare, etc. These are to be implemented jointly by various Ministries at the Centre and State Governments. It is not possible to give an estimate of annual expenditure involved in the implementation of these recommendations.

चतर्थ वेतन आयोग की पेंशनधारियों संबंधी सिफारिशें

1003. **श्री सूरज प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथे वेतन आयोग ने पेंशनधारियों के लिए अपनी सिफारिश पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है और इस संबंध में इसके द्वारा कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि आयोग ने मार्च, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक की अवधि में सेव निवृत्त हुए कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती): (क) से (ग) चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है और निर्णय शीघ्र ही घोषित किए जाने की सम्भावना है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानताएं

1004. **श्री सूरज प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अनेक मंत्रालयों तथा कार्यालयों में यह पाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मुकाबले कनिष्ठ अधिकारी अधिक वेतन ले रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बाद अनेक आदेश जारी किए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक विभागों में कई कर्मचारियों को बकाया धनराशि की अदायगी से बचने हेतु सरकार के इस प्रकार के आदेशों पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है ;

(घ) क्या वेतन में असमानताओं के संबंध में लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को अगस्त, 1985 से दिसम्बर 1985 तक की अवधि के दौरान अनेक विभागों से कुछ पत्र प्राप्त हुए है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती): (क) साधारणतया ऐसा नहीं होता कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति अपने कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त करे, क्योंकि नियमित पदोन्नति पर दोनों अधिकारियों का वेतन पद के लिए